न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/64 दायरा दिनांक : 15.06.2021

उनवान

मांगीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम छोडलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– देवलाल आत्मज धूल्या, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम पहाड़पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

2– रंगलाल आत्मज धूल्या, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम पहाड़पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

3– रामचरण आत्मज धूल्या, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम पहाड़पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

4– ग्यारसीबाई पुत्री धूल्या, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम पहाड़पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

5– नाथ्या आत्मज देवा, जाति लोढ़ा, निवासी ग्राम पहाड़पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हेमराज सिंह हाडा व श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री श्यामसुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 26.10.2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के वाद संख्या – 04/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम छोडलिया पटवार हल्का छोडलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड के माल की खतौनी संख्या 48 की खसरा नम्बर 30–31/940 की 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी, खसरा नम्बर 31/942 की 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 32/716 की

16 बिस्वा, खसरा नम्बर 42/856 की 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 86/751 की 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 99/453 की 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 92–99/1255 की 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 92–99/1256 की 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 92–99/953 की 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 99–100/1194 की 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 27–37/939 की 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 31/941 की 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/726 की 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/729 की 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 की 3 बीघा 7 बिस्वा, कुल 15 किता की 20 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादीगण 1 लगायत 4 के पिता मृतक धूल्या वल्द देवा व वादी नं. 5 के शामिल खाते में दर्ज थी। जब सैटलमेंट हुआ तो सैटलमेंट विभाग द्वारा पुराने नम्बर बदल दिये गये और उनके स्थान पर नये नम्बरों को अंकित किये गये। ग्राम छोडलिया, तहसील मनोहरथाना के माल की खतौनी संख्या 124 व खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 143 की 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 163 की 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 की 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 की 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 340 की 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 342 की 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 की 2 बीघा 13 बिस्वा कुल 8 किता की 20 बीघा 10 बिस्वा आराजी को प्रतिवादी नं. 1 मांगीलाल वल्द भंवरलाल, जाति लोढ़ा, निवासी छोडलिया के खाते दर्ज कर दी जो गलत है। जिसका सैटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 से वादीगण का दावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर आदेश दिया कि ग्राम छोडलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 176 की खसरा नम्बर 163 की 8.02 बीघा में से 3.05 बीघा, खसरा नम्बर 322 की 1.07 बीघा में से 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 340 की 1.10 बीघा में से 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 342 की 1.12 बीघा एवं खसरा नम्बर 343 की 2.13 बीघा आराजी में से 0.05 बीघा कुल 6.10 बीघा आराजी का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को कब्जा दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी की रजिस्ट्री के द्वारा तामील कराने का आदेश नहीं दिया गया। वादीगण के द्वारा एक डाक रसीद दिनांक 31.03.2016 की पेश की गई व इसके नीचे ही एक प्राप्ति स्वीकृति पत्र भी कैसे सलंग्न कर दिया। वादीगण के पास प्राप्ति स्वीकृति पत्र कहां से आ गया। इस मांगीलाल अपीलांट के हस्ताक्षर कूटरचित एवं फर्जी किये गये है। अपीलांट गांव का बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता है।

4 अपीलांट मांगीलाल को अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन कभी प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट के ऐसे किसी सम्मन पर अंगूठा निशानी नहीं है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित

करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

5 अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही गलत रूप से की गई है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 5 के फाड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके फर्जी कार्यवाही करके निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। प्रतिवादी नम्बर 1 की तामील नहीं हुई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.02.2017 को बिना किसी आधार के प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध एक तरफा करने का आदेश कर दिया, इस कारण आदेश दिनांक 22.02.2017 निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने सम्वत 2022 से 2025 पेश की है जिसमें खसरा नम्बर दिये गये हैं वह बटा नम्बर दिये गये हैं यानि कि इनके पूरे नम्बर नहीं है तथा इनके और भी नम्बर है। जिनको जोड़े जाने के बाद ही यह पूरे नम्बर बनते हैं। इन नम्बर का मिलान कैसे भी हाल नम्बर से नहीं होता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इनको गलत रूप से मिलान मानकर कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

6 प्रकरण अपीलांट के विवादग्रस्त आराजी के हक व स्वामित्व के निस्तारण से संबंधित है जिसके द्वारा अपीलांट के स्वामित्व की आराजी को उसके खाते से हटाने का निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इस कारण अपीलांट की सुनवायी का पूर्ण एवं उचित अवसर दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है तथा अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने व सुनवायी किये जाने का उचित व पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

7 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि दावा पेश होने के बाद अपीलांट को सम्मन की तामील नहीं हुई तथा दावे की तारीख पेशी भी नियमित रूप से नहीं हुई है व पत्रावली की न्यायालय में पेश नहीं हुई है। प्रकरण में पेशी दिनांक 12.05.2015 को आगामी तारीख 28.05.2015 दी गयी थी लेकिन दिनांक 28.05.2015 को पत्रावली न्यायालय में पेश ही नहीं की गई तथा कोई तारीख नहीं दी गई। इसके बाद पत्रावली दिनांक 26.08.2015 को पेश हुई और तारीख 07.10.2015 दी गई। इसके बाद प्रकरण में पेशी दिनांक 17.03.2016 को तारीख पेशी दिनांक 27.04.2016 दी गई तथा प्रतिवादी को तलबाना पेश करने पर जारी होने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को जर्ये रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिस्थापित तामील कराने का कोई कारण नहीं था। पेशी दिनांक 27.04.2016 को पत्रावली में पेश नहीं हुई तथा कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। इसके बाद पत्रावली दिनांक 13.06.2016 को लोक अदालत में पेश की गई। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण को तलबी प्रतिवादीगण हेतु पेशी दिनांक 13.07.2016 दी गई पेशी दिनांक 13.07.2016 को पत्रावली न्यायालय में पेश नहीं की गई। इसके बाद पत्रावली दिनांक 28.09.2016 को न्यायालय में पेश हुई। इसके बाद पेशी दिनांक

22.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कर दिया। अपीलांट गांव का बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता है।

8 अपीलांट मांगीलाल को अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन कभी प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका देखने से स्पष्ट है कि अपीलांट के ऐसे किसी सम्मन पर अंगूठा निशानी नहीं है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स 1 लगायत 5 के द्वारा एक दावा प्रस्तुत किया गया। इस दावे में अपीलांट की तामील नहीं हुई तथा सम्मन भी वापस प्राप्त नहीं हुए। सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा भी नहीं किया गया। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका को देखने से भी स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी प्रतिवादीगण की तामील नहीं होते हुए भी प्रकरण का बिना किसी भी आधार के निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है तथा कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

9 पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। इस कारण अपीलांट को सम्मन दुबारा जारी किये जाने आवश्यक थे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है तथा कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। साबिक खसरा नम्बर का वर्तमान खसरा नम्बर से मिलान नहीं हो रहा है। इस प्रकार वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनुमान के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

10 वादीगण का दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया था। वादीगण का दावा कानूनन मेन्टेनेबल नहीं था। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने दावे में विवादग्रस्त आराजी के गत खसरा नम्बर तथा वर्तमान खसरा नम्बर का पूर्ण विवरण नहीं लिखा है तथा यह कैसे मिलान करते हैं, इसका कोई विवरण अंकित नहीं है। वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी

बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया तथा विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा है तथा विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के स्वामित्व, कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसको पिछले 70–80 साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन वादीगण ने गलत रूप से अपीलांट की आराजी हड़पने के लिये झूठा दावा पेश किया है। यह तथ्य जमाबंदी देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेही व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाने का निर्णय प्रदान फरमाया जावे।

11 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.05.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

12 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

13 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि यह कि खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर
1	143 रकबा 13 बिस्वा	34 रकबा 10 बिस्वा 35 रकबा 03 बिस्वा
2	163 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा	30 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा 31 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा 41 रकबा 08 बिस्वा
3	169 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा	41 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा 42 रकबा 17 बिस्वा
4	322 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा	86 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा
5	339 रकबा 03 बिस्वा	94 रकबा 03 बिस्वा
6	340 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा	94 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा
7	342 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा	94 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा
8	343 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा	98 रकबा 08 बिस्वा 99 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा 100 रकबा 06 बिस्वा
9	कुल 20 बीघा 10 बिस्वा	कुल 20 बीघा 10 बिस्वा

14 इस प्रकार अपीलांट के पहले व बाद के रकबे में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में पूरे तथ्य एवं रेकार्ड पेश नहीं होने के कारण बिना साक्ष्य के ही तथा बिना किसी आधार के अपीलांट की आराजी को खातेदारी में से कम करने का जो निर्णय दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

15 अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे किसी भी तामील पर अपीलांट का निशानी अंगूठा भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नियमित रूप से पेशी में भी नहीं चल रही थी। यह तथ्य पत्रावली की आर्डरशीट को देखने से ही स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की भी रजिस्ट्री डाक से सम्मन तामील कराने का आदेश नहीं दिया। लेकिन रेस्पोडेंट (वादीगण) ने डाक रसीद के साथ प्राप्ति स्वीकृति पत्र लगा स्वयं पेश करके अधीनस्थ न्यायालय से एक तरफा में निर्णय प्राप्त कर लिया जबकि अपीलांट हस्ताक्षर नहीं करता है। इस प्रकार रेस्पोडेंट ने कूटरचना करके अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

16 विवादग्रस्त आराजी संवत 2010 से 2013 में रोडया, भंवरया बेटे कनीराम के खाते दर्ज थी जिसके खसरा नम्बर 851/29 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वां, खसरा नम्बर 936/37 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 938/30 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 715/32 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1175/40 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1094/42 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1025/75 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1026/85 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 752/86 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 380/96 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 937/30 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 727/41 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 728 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 7 बिस्वा, 06 बीघा 11 बिस्वा कुल 14 किता रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम छोडलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ थी।

17 प्रकरण अचल सम्पत्ति के हक एवं स्वामित्व के निस्तारण का है– इस कारण अपीलांट को पूर्ण एवं उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

18 अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमायी जावे तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर दिये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

19 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम छोडलिया पटवार हल्का छोडलिया, तहसील मनोहरथाना के माल की खतौनी संख्या 48 की कुल 15 किता की 20 बीघा 01 बिस्वा आराजी वादीगण 1 लगायत 4 के पिता मृतक धूल्या वल्द देवा तथा वादी नम्बर 5 के

शामलाती खाते में दर्ज थी जिसकी नकल अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 वाद पत्र के साथ पेश है।

20 इसके पश्चात जब सैटलमेंट हुआ तो सैटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण 1 लगायत 4 के पिता मृतक धूल्या व वादी नं. 5 के खाते की आराजी को प्रतिवादी नं. 1 के खाते दर्ज कर दी, जिसका कि सैटलमेंट विभाग को कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं था। नकल भू प्रबन्ध सैटलमेंट की अधीनस्थ न्यायालय के वाद के साथ पेश है और वर्तमान में भी उक्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 के ही खाते में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 वाद अधीनस्थ न्यायालय के वाद के साथ पेश है। नकल एक्जीविट पी 1, पी 2, पी 3, पी 4, पी 5, पी 6, पी 7 है जो वाद के अधीनस्थ न्यायालय के वाद के साथ सलंग्न है।

21 यह कि नये एवं पुराने खसरा नम्बर निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	खसरा नम्बर हाल	खसरा नम्बर गत
1	142	34, 45
2	163	30, 31
3	169	41, 42
4	322	86
5	339	94
6	340	94
7	342	94
8	343	39, 10

22 पुराने खसरा नम्बर व नये खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल अधीनस्थ न्यायालय के वाद के साथ पेश है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त आराजी पूर्व में वादीगण 1 लगायत 4 के पिता धूल्या व वादी नाथ्या के शामलाती खाते में दर्ज थी। जिसे सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटलमेंट के पश्चात प्रतिवादी नं. 1 के खाते में दर्ज कर दी, जिसका कि सैटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

23 अधीनस्थ न्यायालय के वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का खातेदार मृतक धूल्या वल्द देवा फौत हो चुका है और वादी नं. 1 लगायत 4 उसके जायज वारिसान है।

24 अतः लिखित बहस पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के निर्णय दिनांक 14.02.2018 (यथावत) बहाल रखा जाये और अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

25 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियादे अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

26 हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत अपील एंवं अधीनस्थ न्यायालय की समस्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

27 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांगीलाल को निम्नानुसार सम्मन जारी किये गये हैं :–

- पहला सम्मन दिनांक 02.01.2015 को जारी कर दिनांक 26.02.2015 को उपस्थित होने हेतु पावन्द किया। बाद प्राप्त सम्मन तामील दिनांक 24.02.2015 मकान पर चस्पा कर दी गई।
- दूसरा सम्मन दिनांक 25.03.2015 को जारी कर दिनांक 21.04.2015 को उपस्थित होने हेतु पावन्द किया। बाद प्राप्त सम्मन तामील दिनांक 25.03.2015 मांगीलाल पुत्र भंवर लाल के भतीजे किशनलाल पुत्र बापूलाल को एक प्रति देकर सूचना दे दी गई।
- तीसरा सम्मन दिनांक 23.02.2016 को जारी कर दिनांक 17.03.2016 को उपस्थित होने हेतु पावन्द किया। बाद प्राप्त सम्मन तामील दिनांक 29.02.2016 पर मांगीलाल पुत्र भंवरलाल, जाति लोधा, ग्राम छोडलिया में मालूमात करी तो उक्त गवाहों ने इस जाति का कोई व्यक्ति नहीं होना बताया।
- चौथी वार सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 31.03.2016 को जारी की गई। जिस पर प्राप्ति रसीद पर मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है।
- पांचवी वार मांगीलाल को सम्मन दिनांक 10.05.2016 को जारी कर दिनांक 13.06.2016 को उपस्थित होने हेतु लोक अदालत केम्प में पावन्द किया। बाद तामील सम्मन पर मांगीलाल को एक प्रति सूचना दी एवं मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है।
- छठी वार मांगीलाल को सम्मन दिनांक 02.07.2016 को जारी कर दिनांक 13.07.2016 को उपस्थित होने हेतु लोक अदालत केम्प में पावन्द किया। बाद तामील दिनांक 11.07.2016 सम्मन पर मांगीलाल को एक प्रति सूचना दी गई तथा मांगीलाल के अंगूठा निशानी अंकित है।

28 अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 1 मांगीलाल अनपढ़ व्यक्ति है जो हस्ताक्षर करना नहीं जानता, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा मांगीलाल को कई बार सम्मन जारी किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि सम्मन की तामील मांगीलाल को विधि सम्मत तरीके से नहीं हुई है। सम्मन तामील करने की प्रकिया में विरोधाभास होना प्रतीत होता है क्योकि किसी सम्मन पर तो मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है और किसी सम्मन पर इस जाति का कोई व्यक्ति गावं में नहीं होना बताया गया है और किसी पर मांगीलाल के अंगूठा निशानी अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील की कार्यवाही प्रोपर नहीं होने के कारण दोषपूर्ण प्रतीत होती है। अतः हम न्यायहित में मांगीलाल को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं।

29 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को विधि सम्मत तरीके से सम्मन तामील कराके, तनकीयात कायम कर, साक्ष्य एवं सुनवायी का उचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत रूप से प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2023 को उपस्थित होवें ।

30 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा